न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री दाताराम आर.ए.एस.

अपील संख्या : 106/2012 (225 आरटी एक्ट) डंगरसिंह बनाम भगवतसिंह वगै.

1 डूंगरसिंह गोदपुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 भगवतसिंह पुत्र श्री जगतसिंह जाति राजपूत निवासी तापू तहसील ओसियां।
2 उपखण्ड अधिकारी, ओसियां।
3 तहसीलदार ओसियां।
4 थानाधिकारी पुलिस थाना ओसियां।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां
दिनांक 19.09.2012 अंतर्गत न्यायिक पत्रांक 1371/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
2 रेस्पोडेंट 2 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी
3 रेस्पोडेट 1 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.12.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां के आदेश दिनांक 19.09.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय (रेस्पोडेंट सं. 2) ने पत्रांक न्यायिक/2012/1371 दिनांक 19.09.12 के द्वारा तहसीलदार ओसियां को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ओसियां के न्यायालय में दीवानी विविध वाद सं. 7/2011 भगवतसिंह बनाम डूंगरसिंह में निर्णय दिनांक 26.08.2011 में दिए गए निर्देशों की पालना में थानाधिकारी ओसियां द्वारा रास्ता खुलवाने बाबत कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार ओसियां को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। इस आदेश से पीड़ित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में आलोच्य अपील पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने केवल एक पत्र के जरिए उक्त आदेश पारित किया है जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की तलबी के लिए 15 से अधिक पत्र लिखे गए एंव 5 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। उभय पक्षकार के अधिवक्ता गण पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि को ही

7/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिकार्ड मानते हुए बहस करने को सहमत होने पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए कथन किया कि रास्ता खुलवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की हैसियत से कोई आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं थे फिर भी उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अपीलाधीन आदेश से तहसीलदार ओसियां को रास्ता खुलवाने का आदेश दिया। जबकि धारा 251 के तहत इस प्रकार का आदेश दीवानी न्याायलय के प्रकरण में नहीं दिया जा सकता। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2011 में भी उपखण्ड अधिकारी को कोई आदेश नहीं दिया गया है। अतः उक्त आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाब में रेस्पो. 2 व 3 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी का उक्त आदेश थानाधिकारी ओसियां के निवेदन पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट ओसियां को मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार ओसियां को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अतः यह प्रकरण धारा 225 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम में कवर नहीं होता है। अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के द्वारा थानाधिकारी ओसियां के निवेदन पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट ओसियां ने मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार ओसियां को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा स्वयं के स्तर से रास्ता खोलने का आदेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकरण में वस्तुतः सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ओसियां के प्रकरण संख्या 07/2011 में रास्ता खोलने का आदेश हुआ था। उक्त आदेश का अवलोकन किया जिसमें रास्ता खुलवाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने थानाधिकारी के ओसियां के निवेदन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आदेश धारा 251 के तहत दिया गया है परंतु आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आदेश केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्ति का है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए आदेश की श्रेणी में आता है। अतः प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

7 अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम) 7/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर